छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2025

(आषाढ़ 23, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत **"वन्दे मातरम्"** एवं राज्यगीत **"अरपा पइरी के धार"** का गायन किया गया ।

2. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री शेखर दत्त, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल एवं राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये ।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्यमंत्री, श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.21 बजे स्थगित की जाकर 11.34 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

3. श्रावण मास की बधाई

मानननीय अध्यक्ष ने सदन की ओर से सभी माननीय सदस्यों को श्रावण मास की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

4. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03 (कुल 02) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री देवेन्द्र यादव अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 80 तारांकित एवं 107 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. बहिर्गमन

(तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2025 में लिए गए निर्णय अनुसार विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए सम्मुख अंकित समय का निर्धारण करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है -:

	शासकीय विधि विषयक कार्य	**निर्धारित समय**
(1)	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025	**30 मिनट**
(2)	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025	**30 मिनट**
(3)	छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025	**30 मिनट**

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. सदन को सूचना

(1) **नवीन विधान सभा भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का निरीक्षण एवं विधान सभा परिसर में "एक पेड़ माँ के नाम" के तहत वृक्षारोपण**

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- दिनांक 14 जुलाई, 2025 को दोपहर सभा की कार्यवाही स्थगित होने के पश्चात् नवीन विधान सभा भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का निरीक्षण एवं विधान सभा परिसर में **"एक पेड़ माँ के नाम"** के तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग की ओर से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण एवं समस्त माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वृक्षारोपण हेतु नवीन विधान सभा भवन परिसर में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(2) **माननीय सदस्यों हेतु जैव विविधता एवं वेटलैंड संरक्षण के संबंध में कार्यशाला.**

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- दिनांक 20 मार्च, 2025 को डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष की ओर से लोक जैव विविधता पंजी तैयार नहीं करने पर तथा वेटलैण्ड स्थलों पर अपेक्षित कार्य नहीं होने के संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया था । इस ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों की ओर से आये सुझावों के आधार पर जैव विविधता एवं वेटलैण्ड संरक्षण के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित कराने हेतु आसंदी द्वारा निर्देश दिये गये थे, जिसके तारतम्य में माननीय वन मंत्री जी द्वारा सहमति दी गई थी । आज दिनांक 14 जुलाई, 2025 को नवीन विधान सभा परिसर में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के उपरांत नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से माननीय सदस्यों हेतु जैव विविधता एवं वेटलैण्ड संरक्षण के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला के पश्चात् अरण्य भवन में ही वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की ओर से सदस्यों के लिए दोपहर भोज की भी व्यवस्था की गई है । इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय, उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण एवं समस्त माननीय सदस्य आमंत्रित हैं।

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 10-36/2024/वाक/पांच/(65), दिनांक 23 अगस्त, 2024, तथा

(2) श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

पटल पर रखे ।

9. फरवरी-मार्च, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

10. नियम 267 "क" के अधीन फरवरी-मार्च, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267 "क" के अधीन फरवरी-मार्च, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

11. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा षष्ठम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2025 सत्र में पारित कुल 14 विधेयकों में से 12 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

12. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री विक्रम उसेण्डी

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) सुश्री लता उसेण्डी

(4) श्री लखेश्वर बघेल

(5) श्री दलेश्वर साहू

(6) श्री प्रबोध मिंज

13. पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में खाद एवं बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

इस संबंध में सर्वश्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल एवं दलेश्वर साहू सदस्य ने भी विचार व्यक्त किए।

14. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में खाद एवं बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में खाद एवं बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में 23 माननीय सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष की सूचना सर्व प्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री ने प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर वक्तव्य दिया।

पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रदेश में खाद एवं बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति संबंधी विषय पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.27 बजे स्थगित की जाकर 12.38 बजे समवेत हूई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

15. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री देवेन्द्र यादव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री संदीप साहू, इन्द्र साव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें ।

16. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

17. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार अनुसार निम्नलिखित माननीय सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई ।

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्री मोतीलाल साहू

(3) श्रीमती शेषराज हरवंश

(4) श्री राजेश अग्रवाल

(5) श्री ललित चन्द्राकर

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्यमंत्री ने कथन किया कि आज नवा रायपुर विधान सभा परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, तत्काल बाद जैवविविधता एवं वेटलैंड संरक्षण के संबंध में

कार्यशाला है। उक्त कार्यक्रम में हमें पूरा समय देना है, अत: मेरा सदन से आग्रह और आसंदी से निवेदन है कि आज के जो ध्यानाकर्षण सूचनाएं हैं, उसे कल के लिए रख लिया जाए।

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि "अगर आज के सभी ध्यानाकर्षण सूचनाएं कल ली जायेंगी, मैं इससे सहमत हूं।"

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रम-8 में उल्लेखित ध्यानाकर्षण सूचनायें कल ली जायेंगी।

अपराह्न 12.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 24, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा